न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 1377 / 2024

राजबाला पत्नी विरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी टीटनवाड़ तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनू (राज.)

–वादिया

बनाम

1. मिश्री देवी पत्नी शिवचरण
2. शिशपाल पुत्र बालकिशन
3. सतपाल पुत्र बालकिशन
   समस्त जाति जाट निवासी हाल आबाद टीटनवाड़ तहसील गुढागौड़जी।
4. झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गुढागौड़जी जरिये शाखा प्रबंधक।
5. बी.आर.के.जी.बी. बैंक शाखा गुढागौड़जी जरिये शाखा प्रबंधक
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी।
7. उप पंजीयक तहसील गुढागौड़जी।
8. अमरचन्द पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी टीटनवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
9. लोकेश पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी टीटनवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 04.08.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत मुल वाद पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से काउन्टर क्लेम पेश किया। संक्षेप में काउन्टर क्लेम के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम टीटनवाड तहसील गुढागौड़जी की सरहद में हाल भूमि खसरा नम्बर 405, 406 कुल किता 2 कुल रकबा 4.08 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि की खातेदार काश्तकार पूर्व में प्रतिवादिया नम्बर 1 रही है, जिसने अपना हक व हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2018 के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 8 व 9 को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रित भूमि का कब्जा भी विक्रेता ने उत्तरदातागण का करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र के अनुक्रम में भरे जाने वाले नामान्तकरण को रोकने के लिए वादिया ने मूल वाद गलत आधारों पर पेश किया। चूंकि वादिया उक्त विक्रय पत्र से नाराज होकर ही उक्त भूमि के बाबत् स्थगन आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त कर लिया तथा इतने दिनों तक उत्तरदाता के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र का नामान्तकरण नहीं होने दिया, ऐसी स्थिति में उत्तरदातागण को यह पूर्ण आशंका है कि वादिया सामलाती खाते में उत्तरदाता के कब्जे काश्त में निरन्तर व्यवधान एवं बाधा कारित करेगी। इस कारण उत्तरदातागण अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाना चाहते है। इस कारण यह काउन्टर क्लेम बाबत विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ। इसलिये प्रतिवादी संख्या 8 व 9 अपने दर्ज हिस्से का खाता विभाजन करवाकर अलग से खाता खतौनी पास बुक जारी करवाने का अधिकारी है। अन्त में प्रतिवाद प्रतिवादी संख्या 8 व 9 स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का मुताबिक कब्जा काश्त अलग विभाजन कर अलग लगान कायम कर खाता विभाजन किया जावे तथा अलग खाता खतौनी, पास बुक जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 17.06.2025 को काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 8 व 9 प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2025 / 2407 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील प्रतिवादी संख्या 8 व 9 उपस्थित। वकील प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। अतः अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस प्रतिवाद प्रतिवादी संख्या 8 व 9 न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

—: निर्णय :—

काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 8 व 9 सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम टीटनवाड तहसील गुढागौडजी की सरहद में हाल भूमि खसरा नम्बर 405 रकबा 0.0600 है० व खसरा नम्बर 406 रकबा 4.0200 है० कुल किता 2 कुल रकबा 4.0800 है० कृषि भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2407 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं (राज.) ★ राजस्थान

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर. ए. एस.)

उनवान

उनवान राजबाला बनाम मिश्री देवी वगैरह

मुकदमा नं. : 1377 / 2024 निर्णय दिनांक : 04.08.2025

प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के अधिवक्ता ईश्वर सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 04.08.2025 को सुप्रिया सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 8 व 9 सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा टीटनवाड तहसील गुढागौडजी की सरहद में हाल भूमि खसरा नम्बर 405 रकबा 0.0600 है0 व खसरा नम्बर 406 रकबा 4.0200 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.0800 है0 कृषि भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2025 / 2407 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय	
		हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	3	योग	

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं (राज.) झुंझुनूं

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)